९/

<u>संख्या-09/2026/001-9-7099-266-2025-COM No. 1981546</u>

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ.प्र. लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7 **लखनऊ: दिनांक** 28 **जनवरी, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025—26 में "मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन)" (सी.एम. ग्रिड्स) योजनान्तर्गत नगर निगम सहारनपुर में 01 सड़क के विकास कार्य की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

अवगत है कि शासनादेश संख्या-2112/नौ-7-2023-03(ज)/2023, दिनांक 13.10.2023 द्वारा "मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन)" (सी.एम. ग्रिड्स) के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी.एम. ग्रिड्स योजनान्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूरिडा के पत्र संख्या-499/यूरिडा-03(III)/डीपीआर/2025-26, दिनांक 15.10.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में **नगर निगम सहारनपुर** में 01 सड़क के विकास कार्य हेतु निम्नलिखित विवरण, शर्तें एवं प्रतिबन्धों के अधीन **कुल धनराशि ₹1617.09 लाख (रूपया सोलह करोड़ सत्तरह लाख नौ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष राज्यांश के रूप में प्रथम किश्त की कुल धनराशि ₹727.69 लाख (रूपये**

सात करोड़ सत्ताईस लाख उनहत्तर हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्रं.सं.	कार्य का नाम	प्राप्त आगणन में अनुमानित लागत	मूल्यांकित लागत (अनुमन्य धनराशि)	मूल्यांकित लागत में राज्यांश (90%) की धनराशि	मूल्यांकित लागत में निकायांश (10%) की धनराशि	मूल्यांकित लागत की प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली राज्यांश की धनराशि (प्रस्तावित)	मूल्यांकित लागत की प्रथम किश्त के रूप में उपयोग/वहन की जाने वाली निकायांश की धनराशि
1	अम्बाला रोड पर फायर ब्रिगेड स्टेशन से अम्बेडकर स्टेडियम गांधी पार्क होते हुए रोडवेज बस स्टेण्ड तक जनमंच से जल निगम ऑफिस होते हुए पुराना गंगोह बस स्टेण्ड अम्बाला रोड तक सड़क निर्माण कार्य।	1834.38	1617.09	1455.381	161.709	727.69	80.85
कुल योग		1834.38	1617.09	1455.381	161.709	727.69	80.85

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अर्बन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एजेन्सी (यूरिडा) द्वारा योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार अनुमन्य कार्यों के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था/नगर निकाय की होगी तथा कार्यदायी संस्था/नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व नगर निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तदनुसार प्रस्तावित प्राविधानों का यथावत मानते हुए प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्यों को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(6) प्रस्ताव/आगणन में यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु विस्तृत आगणन के आधार पर विद्युत विभाग हेतु ₹262.51 लाख की धनराशि सम्मिलित है। इन कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व नगर निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा यूटिलिटी शिफ्टिंग से सम्बन्धित कार्यों का Verification & revalidation स्वयं करते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही यूटिलिटी शिफ्टिंग करने हेतु एन०एच०ए०आई० के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जाय कि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा यूटिलिटी शिफ्टिंग की पुनः आवश्यकता न हो। यूटिलिटी

शिफ्टिंग से प्राप्त मैटेरियल की सैलवेज वैल्यू को नियमानुसार राजकोष में जमा किया जाय।

(7) **प्रायोजनान्तर्गत** Sculpture(2 nos), Composite FRP Tree Gate (50 nos), Bench & Dustbin लागत बाजार दरों/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा मार्गों के अनुरक्षण/मेन्टीनेन्स हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(9) कार्यदायी संस्था विभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मार्ग के स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जायें।

(10) प्रायोजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विसेज की स्थापना हेतु डक्ट का निर्माण लोक निर्माण विभाग के संगत शासनादेशों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाये।

(11) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (इप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व नगर निकाय/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(15) संबंधित नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(16) संबंधित नगर निकाय का यह दायित्व होगा कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(17) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. की धनराशि सम्मिलित की गयी है। कार्यदायी संस्था/नगर निकाय का यह दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही कार्यदायी संस्था/नगर निकाय का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत(CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री(सीमेन्ट/स्टील/ ग्रिट/मौरंग इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाय। जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8- 202/दस-2022, दिनांक 13.09.2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कार्यदायी संस्था/नगर निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी.एस.टी. अलग से अनुमन्य न हो।

(18) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की कार्य स्थल पर स्थापित किये गये डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(19) उपरोक्त योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/

महालेखाकार को दिनांक 31.03.2026 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से उतनी ही धनराशि आगामी वर्षों में निकायो को अवमुक्त की जायेगी, जितना कि उनके द्वारा राजस्व संग्रहण में वृद्वि के आधार पर योजनान्तर्गत आवंटित होगी। यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जहॉ निकायों द्वारा राजस्व संग्रहण में अपेक्षित वृद्वि नही की जा सकी, तो कार्ययोजना में स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था उनके द्वारा स्वयं के संसाधनों से करना होगा।

(21) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे, यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

(22) शासनादेश संख्या-2112/नौ-7-2023-03 (ज)/2023, दिनांक 13.10.2023 द्वारा निर्गत योजना दिशा-निर्देशों एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-2134/नौ-7-2023-03(ज)/2023, दिनांक 13.10.2023 के प्राविधानों के साथ समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) प्रायोजना प्रस्ताव में 2.50 प्रतिशत की दर से मेन्टीनेन्स चार्ज अनुमन्य किया गया है। नगर निगम द्वारा समस्त मार्गों के अनुबन्धों में 5 वर्षीय अनुरक्षण हेतु भुगतान प्रक्रिया का मानकीकरण से सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या-3869सी-ओ0पी0एम0 आर0सी0/मूल 23-24, दिनांक 17.02.2024 में दी गयी मदों/व्यवस्थानुसार मेन्टीनेन्स चार्ज इत्यादि पर जी0एस0टी0 का नियमानुसार भुगतान कार्यदायी संस्था/नगर निगम द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(25) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत

की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(26) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मेंअनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(27) कार्यदायी संस्था/नगर निगम द्वारा निमयानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(28) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/नगर निगम का होगा।

(29) प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंट के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(30) प्रायोजना में प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुये प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादित सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना किया जायेगा। कार्यदायी संस्था/नगर निगम द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाय।

(31) इस संबंध में पी0एफ0ए0डी0 की परीक्षण आख्या इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि परीक्षण आख्या में पी0एफ0ए0डी0 द्वारा निर्धारित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,27,69,000 (रुपये सात करोड़ सत्ताईस लाख उनहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217058001100 मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम(अर्बन) (सीएम-ग्रिड्स) **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-E-9-158-X-2025-26 दिनांक 21-01-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 28-01-2026
18:44:46

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

<u>संख्या-09(1)/2026/001-9-7099-266-2025- COM No. 1981546, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. सी.ई.ओ. यूरिडा लखनऊ।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर, उ.प्र.।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
7. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।